भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *288

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-719 का उन्नयन

*288. श्रीमती संध्या रायः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भिंड-इटावा- ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या-719 को चार / छह लेन वाला राजमार्ग बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन के बावजूद उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में देरी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“राष्ट्रीय राजमार्ग-719 का उन्नयन” के संबंध में श्रीमती संध्या राय द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *288 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-719 के ग्वालियर-भिंड-एमपी/यूपी सीमा खंड को 4/6 लेन में विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाओं को कार्य सौंप दिया है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में, एनएच-719 का ग्वालियर-भिंड-एमपी/यूपी सीमा खंड मौजूदा बीओटी (टोल) रियायत की संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) अवधि के अधीन है। इसके अलावा, एनएच-719 के इस खंड को 4/6 लेन में विकसित करने का विचार डीपीआर के परिणाम, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर व्यवहार्यता और व्यावहारिकता पर निर्भर है।

(ग) सरकार ने 25 फरवरी, 2022 के सा.का.नि. 163 (अ) के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना अधिसूचित की है, ताकि हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु होने या उन्हें गंभीर चोट लगने के संबंध में मुआवजा प्रदान किया जा सके। यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अनुसार, मृत्यु की स्थिति में 2.00 लाख रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी और गंभीर चोट के मामले में 50,000 रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी।

*****